-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***02 वारण्टी अभियुक्त 1.जाबिर पुत्र सहीद निवासी ग्राम दुधगढ़ थाना चिलकाना जनपद सहारपुर (****सम्बन्धित मु0अ0सं0 456/19 धारा 8/21 NDPS ACT न्यायालय श्रीमान एडीजे 13 सहारनपुर)* ***2.सन्दीप पुत्र सतपाल निवासी ग्राम अहाडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित एसटी नं0- 330/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कोर्ट कक्ष सं0- 10 सहारनपुर) को अभियुक्तगण के मस्कन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. *जाबिर पुत्र सहीद निवासी ग्राम दुधगढ़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *सन्दीप पुत्र सतपाल निवासी ग्राम अहाडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री विमल कुमार सैनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
3. *है0का0 107 सोनू पायला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
4. *का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
5. *का0 2175 गोपाल सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर*** *के निर्देशन में अवैध रूप से शराब तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.11.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान* ***01 शराब तस्कर अभियुक्त गुफरान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम साहबपुरा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*** *को दबनी कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 07 बोतल देशी शराब माल्टा रसीला मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 524/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुफरान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम साहबपुरा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

07 बोतल देशी शराब रसीला सन्तरा मसालेदार हरियाणा मार्का

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0-165/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. *प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 अजयपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 1081 रुपेन्द्र सिंह कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
4. *है का0 51 शान्तनु थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
5. *है का0 397 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गई 01 लाख रूपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 09.06.2026 को पीडित श्री कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र गंगाचरण शर्मा निवासी विष्णुधाम गली नं0-2 माधव नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को किसी संस्थान/विभाग का कर्मचारी बताकर रिटायरमेंट बेनिफिट कार्ड बनवाने का लालच देकर वादी के बैंक कस्टमर आईडी व डेबिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर वादी के मोबाइल पर लिंक भेजकर वादी के खाते से 12,76,500/- रुपये अवैध रूप से ट्रांसफर कर लेने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पर मु0अ0सं0 32/2026 अन्तर्गत 318(4), 319(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट में पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए **आवेदक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से कुल 01 लाख रूपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में भी वादी के खाते में 04 लाख रूपये वापस** कराये जा चुके है। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
2. विवेचक/निरीक्षक श्री पंकज कुमार गौतम, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री नीरज कुमार, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
4. है0कां0 907 नितिन कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
5. है0कां0 712 निशान्त, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
6. म0है0कां0 189 रुचि शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
7. कां0 99 अरुण कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांक -07.11.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का रसीला सन्तरा मसालेदार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से शराब तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.11.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 शराब तस्कर अभियुक्त तालिब पुत्र तसदुक निवासी खुशालपुर थाना शहसपुर जनपद देहरादून*** *को मानकमऊ से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 09 बोतल देशी शराब माल्टा रसीला मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 523/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

तालिब पुत्र तसदुक निवासी खुशालपुर थाना शहसपुर जनपद देहरादून

बरामदगी का विवरण:-

- *09 बोतल देशी शराब रसीला सन्तरा मसालेदार हरियाणा मार्का*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. *प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा शांति भंग करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2026 को पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान राजेश पुत्र रामप्रसाद के द्वारा अपनी बहन की लडकी के साथ घरेलू बात को लेकर आमदा-फसाद कर रहा था काफी समझाया गया परन्तु समझाने भी नही माना जिस कारण शान्ति व्यवस्था भंग का पूर्ण अन्देशा को देखते हुए राजेश पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनुपर को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी अभियुक्त को वैधानिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राजेश पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 रामकुमार गौतम थाना मिर्जापुर सहारनपुर ।
2. रि0का0 1504 केशवराम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।
3. रि0का0 1499 मंजीत कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

दिनांकः 07.11.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री इन्द्रेश कुमार चौहान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सलमान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम रिढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को पानसर भोजेवाला चौराहे से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 448/2026 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. *सलमान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम रिढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर (गिरफ्तार)*

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0स0 361/2012 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व धारा 380 भादवि चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0स0 112/2015 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0स0 161/2024 धारा 323/325/354(ख)/452, 504, 506 भादवि चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0स0 376/2025 धारा 8/21 एनडीपीएम एक्ट चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण-

- *20 ग्राम अवैध स्मैक*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0 264 अनिल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
4. *का0 2183 संजु कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनाँक 07-11-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री इन्द्रेश कुमार चौहान के नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त अमजद उर्फ बिल्लू पुत्र इकबाल मिस्त्री निवासी मौ0 इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को गांगरो नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0-447/2026 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अमजद उर्फ बिल्लू पुत्र इकबाल मिस्त्री निवासी मौहल्ला इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध चाकू

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 525/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 361/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 321/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 233/25 धारा 305(a), 317(2), 317(5), 331(4) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 251/25 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 146/21 धारा 379, 411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 447/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. *उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 85 रमेश कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *का0 1802 बिट्टू कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांकः**07-11-2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 10/10/2026 को वादी श्री किशन सिंह पुत्र सतेन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम बिश्नोट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के साथ गाली गलौच करने, तथा फैक्ट्री मालिक अरबीन व सादिक के मौके पर आने पर उनपर लाठी डन्डे व लोहे की रॉड़ से जान से मारने की नियत से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर देना व गाड़ी के शिशे तोड़ देने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0स0 466/2026 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/352/324(4) बी.एन.एस. के पंजीकृत कराया गया । विवेचना से अभियोग में धारा 103(1)/117(2) बी.एन.एस की बढौतरी की गयी।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिए गए थे । इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे* ***01 वांछित अभियुक्त संजय उर्फ संजीव पुत्र रंगपाल निवासी ग्राम कल्लरहेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*** *को थाना गंगोह क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *संजय उर्फ संजीव पुत्र रंगपाल निवासी ग्राम कल्लरहेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. *मु0अ0सं0 332/20 धारा 188/267/270 भादंवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0 12 अंकुश गौदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
4. *हे0का0 259 दीपक सागर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

दिनांकः**07-11-2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 07.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त शहजाद पुत्र बदलू निवासी नई बस्ती मौ0 बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर*** *को नयागाँव रोड अध्याना तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 565/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शहजाद पुत्र बदलू निवासी नई बस्ती मौ0 बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध छुरा

अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 253/2019 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नकुड सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 466/2025 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना नकुड, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ , सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना नकुड़ सहारनपुर,
3. है0का0 1292 टुंकिल थाना नकुड़ सहारनपुर
4. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालानी कार्रवाई की गई

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्ता बनाएं रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग एवं गस्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री विरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान मण्डी समिति पर पहुँचे तो कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत ***अभियुक्तगण 1.नवीद पुत्र रिजवान उल हक निवासी चौब फरोशान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 2. हारुन रशीद पुत्र रशीद अहमद निवासी अरबी मदरसा थाना मण्डी जमपद सहारनपुर व 3. उमद पुत्र सईद अहमद निवासी चौब फरोशान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को मंडी समित के अनाज मंडी के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 126/135/170 बीएनएसएस के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नवीद पुत्र रिजवान उल हक निवासी चौब फरोशान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हारुन रशीद पुत्र रशीद अहमद निवासी अरबी मदरसा थाना मण्डी जमपद सहारनपुर
3. उमद पुत्र सईद अहमद निवासी चौब फरोशान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1135 संजय कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1065 अनुजपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः **07.11.2026**

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 23.12.2009 को वादी वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री डालचन्द प्रबोध थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ डैनी पुत्र जमुनादास उर्फ जयसिंह निवासी ग्राम बडा खानपुर थाना झिंझाना शामली द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0-930/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-174/2010 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 07.11.2026 को अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ डैनी पुत्र जमुनादास उर्फ जयसिंह निवासी ग्राम बडा खानपुर थाना झिंझाना शामली को थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-930/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता-(एडीजीसी) श्री मेघराज सिंह चौहान एवं (एडीजीसी) श्री मान सिंह।
विवेचक- थानाध्यक्ष श्री सुरेश इटोरिया।
पैरोकार- है0का0 मोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।